

नम्बर २
अहकाम
डकम की
में जारी डर

न्यायालय उपखण्ड न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :- अनिल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या - 209/2024

बनाम

प्रार्थीगण

युसुफ पुत्र सालेमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी
हाजी खान का तला।

विप्रार्थी

1. तहसीलदार रामसर।


राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राज0भू0राज0 अधिनियम
आदेश

दिनांक 24.12.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा तामलियार पटवार मण्डल सेतराउ के खसरा संख्या 261 में प्रार्थी का नाम युसुफ पुत्र साले के स्थान पर ऑनलाइन करते समय युसुब पुत्र सालेमहमद गलत दर्ज किया गया। जिसे दुरस्त करने हेतु यह प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 19.12.2024 को दर्ज किया गया।


आवेदन दर्ज रजिस्टर कर किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं संलग्न दस्तावेजों के अध्ययन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा तामलियार पटवार मण्डल सेतराउ के खसरा संख्या 261 में प्रार्थी का नाम युसुब पुत्र सालेमहमद के स्थान पर आदत पुत्र ईयुसुफ पुत्र साले दुरस्त करने के आदेश पारित किये जाते हैं। तहसीलदार रामसर को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मोहर लगाकर जारी किया गया।


उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
दिनांक 24.12.2024

कमांक : रीडर/2024/ 3977-78
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर।
2. प्रार्थी युसुफ पुत्र सालेमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी हाजी खान का तला।


उपखण्ड अधिकारी रामसर
उपखण्ड अधिकारी
रामसर